अध्याय–6
प्रवेश प्रक्रिया

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश प्रकिया आवंटित कालेज में सम्पन्न करनी होगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प–संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–अस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के कम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेण्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है। **(अनुलग्नक–II)**

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित **शिक्षण शुल्क** की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो,** जमा करना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों/कॉलेजों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को सम्बन्धित कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।

- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित मेडिकल अथवा डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगाः–

1- आंवटन पत्र की कापी।
2- नीट यू0जी0–2024 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
3- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
4- सामान्य निवास प्रमाण–पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
6- पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

- प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रकिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि–सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।